न्यायालय सहायक कलक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – श्री बनवारी लाल आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
008/2018	20.07.2018	30.10.2018

अनवान

नारायण लाल पिता प्रताप जी जाति अहीर आयु बालिग निवासी लालपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0

प्रार्थी

बनाम

लादु पिता होक्मा जाति कालबेलिया आयु बालिग निवासी लालपुरा तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

अप्रार्थी

उपस्थिति :– अधिवक्ता श्री रोशनलाल शर्मा प्रार्थी।

–:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राज0काश्तकारी अधिनियम ::–

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने विरूद्ध प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी अधिकार व आधिपत्य की निम्नांकित कृषि आराजीयात मौजा लालपुरा पटवार हल्का सांखली तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ राज0 में स्थित है। आराजी संख्या 487 रकबा 3–00 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 3–00 बीघा स्थित दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी प्रार्थी व नोला, नानुराम, माधु पिता प्रताप व हगामी बेवा प्रताप अहीर निवासी लालपुरा के संयुक्त खातेदार से दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण स्वरुप जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी अधिकार की मौजा लालपुरा पटवार हल्का सांखली तहसील राशमी में आराजी नंबर 484/2 (926/484) रकबा 3–00 बीघा स्थित दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण स्वरुप जमाबंदी व नक्शा ट्रेस पेश है। प्रार्थी अपने खातेदार व आधिपत्य की उक्त वर्णित आराजीयात पर आने जाने बैलगाडी ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने हेतु ग्राम लालपुरा की आबादी से चलकर लालपुरा से पहुॅना सरकारी दर्ज रास्ते से होता हुआ अप्रार्थी की आराजी की उत्तरी मेड

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

पर होता हुआ आराजी नम्बर 485, 486 व 481, 482, 483 के बीच मिलाने वाली मेउ पर होता हुआ अपनी आराजी नम्बर 487 में पहुँचता है व कृषि कार्य करते है। इसी रास्ते से अन्य पडोसीगण अपने खेतों पर पहुँचकर कृषि कार्य करते है। उक्त रास्ता प्रार्थी की आराजी पर होता हुआ प्रार्थी की आराजीयात से पूर्वी तरफ अन्य आराजीयात में जाता हैं प्रार्थी की आराजीयात पर पहुँचने वाले रास्ते का नजरीय मानचित्र पेश कि गया है। जिसमें रास्ते को (............) से दर्शाया गया है। प्रार्थी व अन्य पडौसी कृषक गण अपनी आराजीयात पर आने जाने ट्रेक्टर बैलगाडरी लाने व जाने सदैव से अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार की उक्त वर्णित आराजयीात आराजी नम्बर 484/2(926/484) के उत्तरी मेड पर 16 फीट चौडे रास्ते से होते हुवे अपनी आराजीयात पर पहुँचते आये है। प्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से उक्त मार्ग का उपयोग उपभोग करता चला आया है। किन्तु अप्रार्थी के खातेदारी वाली आराजीयात पूर्व में पडत सरकारी जमीन पडी थी कि अप्रार्थी के उक्त आराजीयात का एलोटमेंट हो जाने के बाद से अप्रार्थी मन मुटाव रखने लगा व रास्ते को बंद कर देने की धमकिया देता है अप्रार्थी की आराजीयात के पूर्वी तरफ खेतों में जाने का रास्ता मौके पर मौजूद है किन्तु अप्रार्थी की आराजीयात में अप्रार्थी द्वारा रास्ते को हकवा कर रास्ते के निशान दिनांक 15.05.2018 को मिटा दिये है अप्रार्थी को ऐसा करने से मना किया तो अप्रार्थी झगडा करने पर आमादा हो गया। उक्त रास्ते का लगातार खुलेतौर पर शांतिपूर्वक 40 सालों से भी अधिक समय से पीढी दर पीढी व अन्य कृषकगण रास्ते से गुजरने वाले काश्तकारों उक्त वर्णित रास्ते बाबत सुखाधिकार प्राप्त है। यही एक मात्र रास्ता प्रार्थी की आराजीयात पर आने जाने का रास्ता इसके अलावा प्रार्थी की आराजीयात पर जाने अन्य रास्ता विद्यमान नहीं है। अप्रार्थी को उक्त रास्ते में रूकावट करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थी को अपनी आराजी नम्बर 487 पर पहुँचने के लिये अप्रार्थी की आराजीयात के उत्तरी मेड पर 16 फीट चौडाई में रास्ते की आवश्यकता जिसका नियमानुसार शुल्क प्रार्थी अप्रार्थी को अदा करने को तैयार है उक्त रास्ते को जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में अंकन किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी नम्बर 484/2 (926/484) मेड पर होकर आने जाने का सुखाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीगण के आने जाने में अप्रार्थीगण को रूकावट करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः न्यायालय आप से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 487 पर आने जाने हेतु आराजी संख्या 484/2(956/484) की उत्तरी मेड पर जो रास्ता है उसे खुला कराया जावें तथा संबंधित नक्शा ट्रेस व जमाबंदी में अंकन कराया जावें तथा प्रार्थी अप्रार्थी को उचित

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

प्रतिकर देने को तैयार है। तथा अन्य कोई अनुतोष प्रार्थी के मुफिद हो वह प्रदान फरमाई जावें।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया एवं अन्तर्गत धारा 151 जा0दी0 के तहसीलदार राशमी को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया गया कि मौजा लालपुरा पटवार हल्का सांखली के विचाराधीन प्रकरण जिसमें प्रार्थी की आराजी संख्या 487 है, उक्त आराजीयात पर प्रार्थीगण आने–जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी संख्या 484/2(926/484) मै से रास्ता चाहते है। अतः मौका कमिश्नर से इस आशय की रिपोर्ट प्राप्त की जावें कि 1. ''क्या प्रार्थीगण को अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता है'', अगर हॉ तो रास्ते का उल्लेख करे (मय नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबंदी), 2. ''यदि वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है'' तो मौका कमिश्नर प्रकरण के समस्त पक्षकारान को तलब कर आपसी राजीनामें से रास्ता देने बाबत् सहमती का प्रयास करे एवं सहमति होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल एवं पक्षकारान को दी जाने वाली राशि इत्यादि के संबंध में सहमति का विवरण प्रस्तुत करावें। (मय पर्चा मौका), 3. सहमति नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित रास्ते का क्षेत्रफल (लम्बाई X चौडाई) एवं क्षेत्र की डीएलसी दर का दुगने की गणना क्षेत्रफल से कर पक्षकारान को दी जाने वाली राशि प्रस्तावित करें (मय पर्चा मौका)। मौका कमिश्नर निर्देशित किया गया कि बिन्दु संख्या 1 से 3 तक रिपोर्ट मय पर्चा मौका, नक्शा ट्रेस इत्यादि प्रस्तुत करे। दिनांक 12.09.2018 को अप्रार्थी लादु पिता होक्मा जाति कालबेलिया निवासी लालपुरा की और से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि संबंधित प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो गया है। एवं इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार राशमी के पत्रांक/राजस्व/2018/735 दिनांक 15.10.2018 से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई जो शामिल पत्रावली है। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर दिनांक 30.10.2018 को पत्रावली को तलब किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया की प्रकरण में पक्षकारान में आपसी राजीनामा हो चुका है एवं प्रकरण में तहसीलदार राशमी द्वारा रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, अतः प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना से किया जाकर प्रकरण को निस्तारित किया जावें। हाजिर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस प्रार्थना पत्र को एक तरफा सुना गया। हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया।

तहसीलदार राशमी द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2018/735 दिनांक 15.10.2018 से मौका रिपोर्ट प्रस्तुत प्रेषित की जो शामिल पत्रावली है। रिकार्ड पर लिया गया। हमने पत्रावली का

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट दिनांक 15.10.2018 का अवलोकन किया। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार राशमी द्वारा अवगत कराया गया की प्रार्थी की आराजीयात पर पहुँचने के लिए वैकल्पिक रास्ता नहीं है एवं पक्षकारान राजीनामें बाबत् सहमत है। एवं प्रार्थी की आराजीयात पर पहुँचने के लिए आराजी संख्या 926/484 रकबा 2-03 बीघा में से आराजी संख्या 485 तक 14 फीट चौडाई का रास्ता देने हेतु प्रस्तावित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 0-03 बीघा है। मौजा लालपुरा की अधिकतम डीएलसी दर 133470/- रूपये प्रति बीघा है।

रिपोर्ट तहसीलदार राशमी अनुसार एवं प्रार्थी द्वारा साबित कराया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजयीत पर पहुँचने हेतु रास्ता उपलब्ध नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। जहाँ तक रास्ते का प्रश्न है प्रार्थीगण को ऐसा रास्ता दिया जाये जिसमें कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं हो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को आराजी संख्या 926/484 रकबा 2-03 बीघा में से ही रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। जहाँ तक रास्ते हेतु प्रतिकर राशि का सवाल है रिपोर्ट तहसीलदार अनुसार मौजा लालपुरा पटवार हल्का सांखली की अधिकतम डीएलसी दर 133470/- रूपये प्रति बीघा है। इस अनुसार 03 बिस्वा भूमि हेतु प्रतिकर राशि 40041/- रूपये बनती है जो कि आराजी संख्या 926/484 के खातेदार लादुलाल पिता होक्मा जाति कालबेलिया निवासी लालपुरा को देय योग्य है।

उपर्युक्त विश्लेषण से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'अ' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 को स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी की आराजी संख्या 926/484 रकबा 2-03 बीघा में से 3 बिस्वा भूमि बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड की जावें एवं इस हेतु प्रार्थी से प्रतिकर राशि 40041/- रूपये वसूल की जाकर अप्रार्थी लादुलाल पिता होक्मा जाति कालबेलिया निवासी लालपुरा को आराजीयात के अनुसार हक हिस्से अनुसार वितरित किया जावें। इस हेतु तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि आदेशानुसार राशि प्रार्थी से वसूल की जाकर अप्राथी को वितरण किया जावें एवं राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम करवाई जावें।

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

तहसीलदार राशमी को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु प्रतिकर राशि 40041/- रूपये प्रार्थी से वसूल किये जाकर अग्र तालिका के कॉलम संख्या 6 अनुसार कॉलम संख्या 2 में वर्णित खातेदार को भुगतान किया जाकर मौजा लालपुरा पटवार हल्का सांखली की आराजी संख्या 926/484 रकबा 2-03 बीघा मैसे

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

0–03 बीघा कुल किता 1 कुल रकबा 0–03 बीघा बिलानाम सरकार किस्म रास्ता दर्ज रिकार्ड किया जावें। एवं नक्शें में आवश्यक तरमीम की जावें।

प्रतिकर राशि वितरण तालिका

क्र. सं.	नाम खातेदार	आराजी संख्या	आराजी का रास्ते हेतु उपयोग	आराजी में खातेदार का हक हिस्सा	प्रतिकर राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री लादुलाल पिता होक्मा जाति कालबेलिया निवासी लालपुरा	926/484 रकबा 2–03 बीघा	0–03 बीघा	1	40041/– रूपये
कुल प्रतिकर राशि					40041/– रूपये

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। पत्रावली बाद किता शुमारी दाखिल दफ्तर रहें। यह निर्णय सरे इजलास लिखाया जाकर आज दिनांक **30.10.2018** को सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, राशमी जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(बनवारी लाल)
सहायक कलेक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)
राशमी